न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 15/2019

निर्णय दिनांकः— 04.02.2021

उनवान

1.नरेश पुत्र नारायण जाति माली निवासी मालियो की झोपडियां तन बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक

2.गजानन्द पुत्र नारायण जाति माली निवासी मालियो की झोपडियां तन बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक

3.कजोडी बाई बेवा नारायण जाति माली निवासी मालियो की झोपडियां तन बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक — प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थीगण
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगणं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात खाता संख्या 125 ख0न0 661 रकबा 0.19, ख0न0 666 रकबा 0.13, ख0न0 675 रकबा 0.08 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा मे स्थित है। जो विरासत मे पूर्वजों से हम प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का बिना किसी बाधा के निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राज्य सरकार को लगान जमा कराते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पूर्वजों ने काफी समय पूर्व उनके जीवनकाल मे उक्त वर्णित आराजी श्रीकिशन पुत्र रूघनाथ जाति कुर्मी बोहरा टिक्कीवाल निवासी बनेठा के रहन रखी थी, जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे बतौर राहिन अंकित किया गया था तथा उसके बाद उन्होन सम्पूर्ण रहन राशि राहिन श्रीकिशन को आदा भी कर दी थी। परन्तु प्रार्थीगण के पूर्वज अनपढ व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने के कारण उक्त रहन का अंकन राजस्व रेकार्ड मे चला आ रहा है। राहिन श्रीशिन पुत्र रूघनाथ नाथ जाति कुर्मी बोहरा टिक्कीवाल निवासी बनेठा की मृत्यु काफी समय पूर्व हो चुकी है तथा उसके कोई जायज वारिस व एत्तराधिकारी भी नही है। जिस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी पूर्णतया साबित है। प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

जमाबन्दी मे अपना नाम के बाद राहिन श्रीकिशन का नाम का अंकन हटवाते हुये राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करावाने बाबत श्रीमान तहसीलदार जी से निवेदन किया तो उन्होने अदालत हाजा मे कार्यवाही करने हेतु कहने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि आराजीयात खाता संख्या 125 ख0न0 661 रकबा 0.19, ख0न0 666 रकबा 0.13, ख0न0 675 रकबा 0.08 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक मे प्रार्थीगण के नाम के बाद राहिन श्रीकिशन पुत्र रूघनाथ जाति कुर्मी बोहरा टिक्कीवाल निवासी बनेठा का अंकन हटवाते हुये राजस्व रेकार्ड उुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा रहन राशि श्रीकिशन को अदा करने सम्बन्धित कोई अदेय प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज सलंग्न नही करने से प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा मे आराजी ख0न0 661 रकबा 0.19, ख0न0 666 रकबा 0.13, ख0न0 675 रकबा 0.08 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है0 मे प्रार्थीगण 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा अर्थात कुल आराजीयात मे 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा राहिन पूर्ण खाता श्रीकिशन पुत्र रूघनाथ जाति कुर्मी बोहरा टिक्कीवाल दर्ज है। यह सही है कि प्रार्थीगण के द्वारा रहन राशि अदा करने सम्बन्धित कोई दस्तावेज अथवा अदेय प्रमाण पत्र सलंग्न नही किया है।

राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग पत्र कमांक प.3 (1) राज–6/19 जयपुर, दिनांक 8.3.19 के अनुसार समस्त जिला कलेक्टर , राजस्थान को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 मे संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किये गये महत्वपूर्ण संशोधन की पुनः अनुपालना कराने बाबत निद्रैश जारी किये गये है। राजस्थान सरकार, राजस्व (भूमि सुधार) विभाग जारी परिपत्र कमांक एफ. 2 (62) राज ग्रुप–6/76 जयपुर दिनांक 18.03.1976 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 मे संशोधन कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप अब काश्तकारों द्वारा अपनी भूमि को केवल 5 वर्ष की अवधि तक ही रहन रखा जा सकता है एवं उपरोक्त अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात ऐसी भूमि रहन से एवं रहन संबंधी राशि के भार से स्वतःही मुक्त समझी जावेगी। उक्त परिपत्र मे तहसीलदार को मासिक प्रगति संबंधी सूचना एकत्रित कर उक्त विभाग को प्रतिमाह 5 तारीख को भिजवाई जाने के निदैश दिये गये हैं।

चूकि यह प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 136 का न होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 मे संशोधन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत आता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। चूकि प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 मे संशोधन अधिनियम 1976 से समबन्धित है। अतः तहसीलदार उनियारा को लिखा जावे कि वे ऐसे प्रकरणों का रिकार्ड से मिलान कर परिपत्र मे अंकित निर्देशानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा